बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 272

असरदार फसल बीमा

मोदी सरकार अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमबीएफबीवाई) की समीक्षा करने जा रही है। यह किसानों का फसल जोखिम कम कर उन्हें सही मायने में फायदा पहुंचाने की दिशा में एक स्वागतयोग्य कदम है। हालांकि योजना की समीक्षा के लिए मंत्री समूह जैसा उच्चस्तरीय पैनल बनाने की जरूरत पर बहस हो सकती है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समूह में गृह मंत्री और कुछ अन्य मंत्री भी शामिल हैं। वैसे कृषि विशेषज्ञों, किसानों, बीमा कंपनियों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को इस समीक्षा पैनल में रखा जाता तो बेहतर होता। पीएमएफबीवाई के वर्ष 2016 में आगाज के कुछ समय बाद से ही इसकी पुनर्संरचना एवं समीक्षा की जरूरत महसूस की जा रही थी लेकिन सरकार को इस दिशा में कदम उठाने में समय लगा। फसल बीमा की तमाम पुरानी योजनाओं से बेहतर होने के बावजूद यह योजना अंतर्निहित संरचनात्मक, वित्तीय एवं लॉजिस्टिक खामियों के चलते किसी भी हितधारक को प्रभावित कर पाने में नाकाम रही।

इस मोर्चे पर सर्वव्यापी अंसतुष्टि इस बात से जाहिर होती है कि तीन प्रमुख कृषि राज्यों- आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं बिहार ने इस योजना से खुद को अलग कर लिया है। कम-से-कम तीन अन्य राज्य- कर्नाटक, गुजरात एवं ओडिशा भी ऐसा करने की सोच रहे हैं। इन राज्यों का मानना है कि योजना से होने वाले लाभों की तुलना में इसके संचालन की लागत कहीं अधिक है लिहाजा वे किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए वैकल्पिक तरीके आजमा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चार निजी बीमा कंपनियों ने भी इस योजना को घाटा उठाने वाला धंधा बताते हुए खुद को अलग कर लिया है। इससे भी बुरी बात यह है कि कई अन्य बीमा कंपनियों के भी इससे अलग होने के आसार हैं। हालांकि आम धारणा यही है कि सरकार की तरफ से दी जा रही सब्सिडी का बड़ा हिस्सा बीमा कंपनियों के पास जा रहा है। किसानों को भी यह योजना अधिक भा नहीं रही है। वैसे किसानों को रबी फसलों के लिए महज एक फीसदी, खरीफ फसलों के लिए 1.5 फीसदी और वाणिज्यिक फसलों के लिए पांच फीसदी प्रीमियम ही देना होता है।

इस योजना के डिजाइन में एक बड़ी खामी यह है कि इसमें योजना के व्यय (यानी सब्सिडी) का बोझ राज्यों को केंद्र के साथ आधा-आधा उठाना है। राज्यों के हिस्से का फंड जारी करने में चूक होने से बीमा दावों के त्वरित निपटान की बीमा कंपनियों की क्षमता भी प्रभावित होती है। फसलों को अधिसूचित करने, बुआई का रकबा और बीमा योग्य अधिकतम राशि तय करने का अधिकार राज्यों को देने से भी इस योजना की नाकामी का रास्ता तैयार हुआ है। राज्य अक्सर अपने वित्तीय बोझ को कम रखने के लिए सीमा को काफी कम रखते हैं जिससे उत्पादकों के लिए योजना की उपयोगिता कम हो जाती है। कर्जदारों की फसल का बीमा करने की बैंकों को दी गई मंजूरी भी योजना की एक बड़ी समस्या है।

बैंक अमूमन कर्ज के बरक्स बीमित राशि का समायोजन कर लेते हैं जिससे किसान असहाय हो जाते हैं। बीमित उत्पादक किसानों को अक्सर लेनदेन के विवरणों के बारे में पता भी नहीं चल पाता है। भले ही फसलों को हुए नुकसान के त्वरित आकलन के लिए इस योजना में तकनीक खासकर सैटेलाइट इमेजिंग के इस्तेमाल की परिकल्पना की गई है लेकिन अभी तक इसके वांछित परिणाम नहीं रहे हैं। नुकसान के आकलन के लिए राज्य सरकारें जिन तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, वे समय-साध्य एवं अपारदर्शी होने से भरोसे का संकट पैदा होता है। ऐसे में अचरज नहीं है कि किसानों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि उन्हें या तो मुआवजा अपर्याप्त मिलता है या मिलता ही नहीं है। अगर मंत्री समूह इन सभी बिंदुओं एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर ठीक से ध्यान देता है तो पीएमएफबीवाई को किसानों के लिए वरदान बनाने की उम्मीद बंधेगी।

अजय मोहंती

धरती को बचाने के तीन जरूरी कदम

जलवायु वार्ताओं को सार्थक बनाने के लिए सभी पक्षों को मिलकर प्रयास करने होंगे। पिछली गलतियां स्वीकार करने और उन्हें सुधारने की मंशा के बगैर ऐसा होना मुश्किल है। बता रहे हैं **अरूणाभ घोष**

किसी समस्या के समाधान के लिए पहले हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन मैड्रिड जलवायु सम्मेलन में चर्चा के लिए जुटे तमाम वार्ताकार ऐसा करने में नाकाम रहे। पिछले किसी भी वार्षिक जलवायु सम्मेलन से अधिक समय तक चलने के बावजूद मैड्रिड सम्मेलन किसी समझौते के बगैर ही समाप्त हो गया। पेरिस समझौता असल में सुलह का एक तरीका था जिसमें हरेक के लिए कुछ-न-कुछ दिया गया था। इस साल के 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज' (सीओपी-25) में किसी के लिए भी कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था। मुद्दा जलवायु वार्ताओं की नाकामी नहीं है। असली समस्या यह है कि हम एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। किसी भी रिश्ते में भरोसा बहाल करने की शुरुआत ईमानदारी से होनी चाहिए और फिर पिछली गलतियों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। इससे साथ मिलकर काम करने के वादों का रास्ता बनेगा। धरती बचाने के घटनाक्रम को तीन दृश्यों में यहां पेश किया जा रहा है।

पहला कदम: सच्चाई। ईमानदारी एक गुण है और विश्वसनीयता एक प्रतिष्ठा है। जलवायु सम्मेलनों में किए गए वादे विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि दो कड़वे सच के बारे में ईमानदारी की कमी है। जलवायु पहले ही बदल चुकी है और उठाए जा रहे कदम पर्याप्त होने के आसपास भी नहीं हैं। विश्व का तापमान पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में कम-से-कम 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की राह पर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने हाल में कहा है कि पेरिस समझौते की मंशा के अनुरूप अगर वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक ही सीमित रखना है तो 2020-30 के दौरान ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में हर साल 7.6 फीसदी गिरावट लानी होगी।

इस सबूत के बरक्स ऐसी अपेक्षा है कि हरेक देश की आकांक्षाएं बढ़ानी होंगी। लेकिन यह संकल्पना दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई शीघ्रता नहीं है। अगर एक देश वर्ष 2050 तक विशुद्ध रूप से शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा करता है तो उसे जलवायु नेता माना जाता है। इस दिशा में जल्द काम नहीं करने या उत्सर्जन कटौती की योजना पहले नहीं बनाने पर फटकार नहीं है। ऐतिहासिक रूप से बड़े प्रदूषक देशों के कदमों में देरी से दुनिया की बहुसंख्यक आबादी के लिए बाकी कार्बन बजट सिकुड़ता जाता है। अगर देश बुनियादी कार्बन गुणा-गणित को लेकर बेईमान बने रहते हैं तो दीर्घकालिक रणनीति विश्वसनीय नहीं है।

पहले कदम का अंत नैतिक सच्चाई के नाटकीय प्रदर्शन के साथ होना चाहिए: दीर्घकालिक रणनीतियों और बढ़ी हुई महत्त्वाकांक्षा रखने वाले देशों को यह भी बताना चाहिए कि उनकी योजनाएं किस हद तक फ्रंटलोडेड हैं और उन पर अमल करने के लिए किस तरह के नियंत्रण एवं संतुलन रखे गए हैं?

दूसरा कदम: निवारण। भूलने से कहीं अधिक आसान होता है माफ करना। अमीर देश 2020 से पहले के अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। किसी भी विकसित देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर किए गए दोहा समझौते के हिसाब से अपनी महत्त्वाकांक्षाएं ऊंची नहीं की। इसका मतलब है कि वर्ष 2020 तक जरूरी उत्सर्जन कटौती नहीं की गई। इसके अलावा वर्ष 2020 तक जलवायु मद में 100 अरब डॉलर के वित्तपोषण का वादा पूरा करने के बजाय 2013-18 के दौरान राहत के लिए बहुपक्षीय जलवायु कोष ने केवल 10.4 अरब डॉलर की ही मंजूरी दी और अनुकूलन फंडिंग केवल 4.4 अरब डॉलर रही।

तीसरी चुनौती यह है कि स्वच्छ विकास व्यवस्था के तहत चार अरब अनबिके प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां हैं। उनके लिए भुगतान नहीं करने से कार्बन बाजार में भरोसा कम होता है। उन्हें आगे ले जाने से 2020 के बाद कार्बन बाजार में क्रेडिट की भरमार होगी और आगे चलकर ऑफसेट की कीमत कम हो जाएगी।

अतीत को भुलाया नहीं जा सकता है और सभी पक्ष 1 जनवरी 2021 से लागू हो रहे पेरिस समझौते पर अमल पर ही ध्यान नहीं दे सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि गैरमहत्त्वाकांक्षी कार्य, अपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता और अनबिके कार्बन क्रेडिट के मुद्दे पर यह सवाल बदस्तूर कायम है कि 'मुझे कैसे पता कि तुम मुझे दोबारा मूर्ख नहीं बनाओगे?'

दूसरा कदम पिछली शिकायतों को दूर करने की मांग करता है। सितंबर 2020 तक विकसित देशों को हामी भरनी चाहिए कि 2020 से पहले की प्रतिबद्धता और परिणामों के बीच के फासले को वे 2020-पश्चात के अपने संकल्प में घरेलू स्तर पर पूरी तरह आत्मसात कर लेंगे। इसके अलावा विकसित देशों को अनबिके सीडीएम क्रेडिट को एकमुश्त समाधान के जरिये चुका देना चाहिए। दिवालिया प्रक्रिया की तरह रियायती दर पर मोलभाव करना व्याकुलता से भरा होगा। लेकिन कोई भी तय मूल्य निम्न-कार्बन निवेश के एवज में संभावित लाखों करोड़ डॉलर की तुलना में बहुत छोटा ही होगा। ऐसे समाधान से 2020-पश्चात के उत्सर्जन कारोबार बाजार की सच्चाई बनी रहेगी जैसा जिक्र पेरिस समझौते की धारा 6 में है। ये दोनों ही कदम सरकारों और बाजारों के प्रति भरोसे को खासा बढ़ा सकते हैं।

तीसरा कदम: नवीनीकरण। सभी संबंधों को दूसरा अवसर दिया जाना चाहिए। वित्त और तकनीक पर नए सिरे से ध्यान देकर सामूहिक जलवायु प्रयास के वादे का नवीनीकरण संभव है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के पास निम्न-कार्बन ढांचे को छलांग लगाकर पार करने का मौका है। चीन, भारत और मैक्सिको जैसे देश नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर पहले से ही इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वित्त की लागत संस्थागत निवेशकों को आशंकित जोखिमों के चलते निषेधकारी बनी हुई है। वित्त पर एक नए करार की जरूरत है। वैश्विक वित्त को जलवायु जोखिम एवं निवेश जोखिम की तुलना में जोखिमपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए, प्रीमियम कीमत वास्तविकता दर्शाने वाली होनी चाहिए न कि धारणा। तमाम जोखिमों को कम करने के लिए सार्वजनिक धन के छोटे हिस्से का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

इसी तरह तकनीक पर एक नया सौदा होने से विभिन्न तरह की तकनीकों के लिए मिलजुलकर प्लेटफॉर्म बनाए जा सकेंगे। पहला, ऊर्जा-सक्षम उपकरण और वितरित बिजली को बढ़ावा देने वाले वाणिज्यिक प्रायोगिक परियोजना के जरूरतमंद। दूसरा, किफायती सौर उपकरण, ऊर्जा भंडारण और कम कार्बन वाली कूलिंग तकनीकों के लिए अहम शुरुआती निवेश के आकांक्षी। और तीसरा, अधिक जोखिम लेकिन ऊंची संभावनाओं से भरपूर तकनीकों के लिए फंड एवं वैज्ञानिक प्रतिभा को इकट्ठा करना (उद्योग के लिए नवीन ऊर्जा से निकला हाइड्रोजन, कार्बन भंडारण एवं उपयोग और सौर विकिरण प्रबंधन)।

शेक्सपियर की वह पंक्ति अच्छी सलाह देती है कि 'सबसे प्रेम करो, कुछ पर भरोसा करो और किसी के साथ भी गलत मत करो।' नवंबर 2020 में एक बार फिर सभी देश ग्लास्गो में इकट्ठा होकर जलवायु मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमें अपनी धरती से प्यार करना होगा, पिछली गलतियां ठीक करनी होंगी और कदम-दर-कदम भरोसा बहाल करना होगा। 'अंत भला तो सब भला' कहावत हमें यही सलाह देती है। ईमानदार एवं प्रभावी जलवायु प्रयास के लिए हम यह बात कह पाने से अभी बहुत दूर हैं।

(लेखक कार्उंसिल ऑन एनर्जी, एनवॉयरनमेंट ऐंड वाटर के सीईओ हैं)

बहु-संस्कृतिवाद को उभरते उप-राष्ट्रवाद से गंभीर खतरा

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर मचा घमासान इस बात की तरफ स्पष्ट इशारा करता है कि सरकार लंबे समय से चली आ रही देश की बहु-संस्कृतिवाद की परंपरा के प्रति गंभीर नहीं है। देश को 'मुस्लिम मुक्त' बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की योजना ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है, जो देश के बहु-संस्कृतिवाद के आसन्न खतरों की महज एक झलक भर है। सीएए और एनआरसी पर हो रहा विरोध केवल एक जगह सीमित नहीं है और इसने देश में 'उप-राष्ट्रवाद' की ज्वाला भड़का दी है। अगर यह स्थिति जल्द नियंत्रित नहीं गई तो देश के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

सीएए और एनआरसी को लेकर मुसलमानों में अंसुष्टि से देश में विरोध प्रदर्शन का स्वर तेज होता गया और देश के कई क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ सड़क पर उतर आए। 27 प्रतिशत आदिवासी आबादी वाले झारखंड के मतदाताओं ने एनआरसी प्रक्रिया को लेकर अपनी नाराजगी जता दी है, खासकर नागरिकता से जुड़े प्रमाण के लिए ऊंचे मानदंड तय किए जाने से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। पूर्वोत्तर भारत के लोगों को खासकर इस बात का डर सता रहा है कि सीएए और एनआरसी के बाद बंगाली हिंदुओं के आने से उनकी अपनी विशेष पहचान खत्म हो जाएगी। जनवरी में विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया था और कानून के नए प्रारूप में इन राज्यों की चिंताएं दूर करने के लिए बदलाव किए गए थे। इस तरह, पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर आदिवासी क्षेत्र इस कानून की जद से बाहर रखे गए थे।

सीएए और एनआरसी पर विभिन्न समूहों एवं समुदायों ने आपत्ति जताई है। पूर्वोत्तर भारत में हिंदू एवं मुस्लिम बंगाली समुदाय स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं और खासकर असम में लोगों का गुस्सा इनके खिलाफ दोबारा फूट पड़ा है। सिक्किम के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और अब राजनीति में उतरे बाईचुंग भूटिया ने ऐसी चिंता जताई है कि उनके राज्य की संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। प्राय: सभी लोग बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन जब भाषा संस्कृति सीमाएं लांघती हैं तो जातिगत हिंसा का रण क्षेत्र तैयार हो जाता है। भाजपा ने बहुत पहले ही सभी मुसलमान परस्तों को पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी है। अब अगर भाजपा यह मांग करने लगे कि सभी बंगालियों को बांग्लादेश जाना चाहिए तो इसमें किसी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

इस तेजी से उभरते उप-राष्ट्रवाद के साथ जुड़ी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अर्थव्यवस्था में अगर सुधार नहीं हुआ और रोजगार की संभावनाएं कम हुईं तो इसमें और तेजी आ सकती है। पिछली बार के वैश्विक वित्तीय संकट से यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी है और इसके लिए सरकार को इतिहास के पन्ने भी पलटने की जरूरत नहीं है। देश ने 2008 में वह नजारा देखा था जब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (एमएनएस) के लोगों के डर से उत्तर प्रदेश और बिहार के भयभीत लोग किस तरह देश की वित्तीय राजधानी मुंबई से पलायन कर रहे थे।

इसके बाद 2012 में भारत की अर्थव्यवस्था शिथिल पड़ी थी तो उस समय भी पूर्वोत्तर के लोग भारत का तथाकथित 'सिलिकन वैली' माने जाने वाले सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) केंद्र बेंगलूरु से खदेड़े जा रहे थे। इस साल मई में भी कई वीडियो सामने आए, जिनमें राजनीतिक लफंगे कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कारोबारियों को पीट रहे थे और उन्हें आतंकवादी तक कहा जाने लगा था। अगस्त में सरकार ने जम्मू कश्मीर का संविधान प्रदत्त विशेष दर्जा समाप्त कर दिया और मोटे तौर पर देश के ज्यादातर हिस्सों में इसे लेकर संतोष का भाव देखा गया। गैर-कश्मीरी मानने लगे कि अब वह भी 'धरती के स्वर्ग' में जमीन-मकान आदि खरीद पाएंगे। 5 अगस्त से यह पूरा क्षेत्र सुरक्षा घेरे में हैं और धीरे-धीरे इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा रही हैं। अक्टूबर में श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय निवेश सम्मेलन आयोजित होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया और यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ।

आंध्र प्रदेश में भी उप-राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के मौजूदा और नए उद्योगों-सार्वजनिक, संयुक्त उद्यम-सभी के लिए स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया है। 2014 में विभाजन के बाद अस्तित्व में आया आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने यह दिशानिर्देश दिया है। अब दूसरे राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र में 2008 में राज ठाकरे के डर से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के पलायन के बाद छोटी एवं मझोली फैक्टरियां खाली हो गई थीं और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा सहित दूसरे बड़े उद्योगों को कल-पुर्जों की आपूर्ति थम गई थी। बेंगलूरु से पूर्वोत्तर के लोगों के पलायन के बाद हजारों छोटे कारोबार खासकर तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र कर्मचारी विहीन हो गए थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि राज्य के गृहमंत्री को लोगों का डर दूर करने स्वयं रेलवे स्टेशनों के चक्कर लगाने पड़े।

राज्य में निवेश करने के आतुर निवेशकों से रेड्डी ने बात की होती तो वे उन्हें इस स्थानीय राजनीति के नुकसान के बारे में पता चलता। कारोबारों, खासकर जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, को सामाजिक एवं क्षेत्रीय पक्षों से ध्यान हटाकर प्रतिभा को वरीयता देनी चाहिए। इस तर्क को शायद ही कोई आसानी से स्वीकार करेगा कि आंध्र के लोग देश के दूसरे हिस्सों से अधिक प्रतिभावान हैं, इसलिए उन्हें विशेष अवसर दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में एमएनएस को इस तरह की सोच का नुकसान उठाना पड़ा है। वहां निजी क्षेत्र लागत के लिहाज से किफायती मानव श्रम को अधिक तरजीह दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री के हाल के भाषण से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि नागरिकता पर बहस किस दिशा में बढ़ रही है।

कानाफूसी

अंदरूनी संकट

हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को राज्य विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ विधायकों के विरोध का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर लखनऊ के एक सांसद ने लखनऊ पुलिस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मोहनलालगंज आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के सांसद कौशल किशोर ने राज्य की राजधानी में तेजी से बढ़ते अपराधों की संख्या के लिए राज्य पुलिस के गैर पेशेवर रवैये को दोषी ठहराया है। किशोर का दावा है कि कई मामलों में पुलिस सही तरीके से कार्यवाही नहीं कर रही है और कई मौकों पर जांच में तेजी लाने के अनुरोध के साथ उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। एक ओर उनकी नाराजगी ने भाजपा की राज्य इकाई को अस्थिर कर दिया है तो वहीं विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर अपने हमले तेज करने के लिए किशोर के आरोपों का सहारा लिया।

वाटरप्रूफ घड़ी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने विपक्षी पार्टियों के तौर-तरीकों को समझाने के लिए एक रोचक तथ्य से इसकी समानता की। उन्होंने कहा, 'हमारे स्कूल के दिनों में वाटरप्रूफ घड़ी का चलन था। इस तरह की घड़ियों में पानी अंदर नहीं जा पाता। कुछ इसी तरह सीएए का विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों का दिमाग भी 'नॉलेज प्रूफ' और 'जानकारी प्रूफ' हो गया है।' नागरिकता (संशोधन) कानून में पहली बार देश में नागरिकता के लिए धर्म को आधार बनाया गया है। सरकार का कहना है कि अगर तीन मुस्लिम बहुल देशों के अल्पसंख्यक धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आते हैं तो सरकार उन्हें मदद मुहैया कराएगी। आलोचकों का कहना है कि यह मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव फैलाने के लिए लाया गया है और इससे संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।

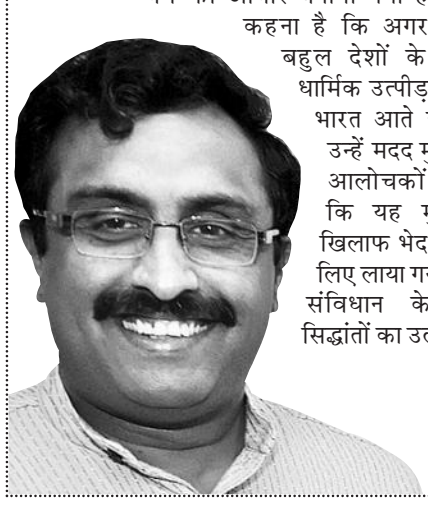

आपका पक्ष

जल संरक्षण के लिए बनें जिम्मेदार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में अटल जल योजना का शुभारंभ किया जिसका मकसद भूजल स्तर में गिरावट को रोकना है। हम सभी प्राणियों के लिए जल सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसके संरक्षण के लिए सदैव एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह प्रयास करते रहना चाहिए। आजकल वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हवा में कुछ जमे हुए पानी के कण और नमी मिली थी। मानव की भूलों का ही परिणाम है कि आज धरती पर जल संकट खड़ा हो गया है। लगातार बढ़ता प्रदूषण और जल संचयन का अभाव इसके मुख्य कारण हैं। प्रकृति के साथ हमने बहुत खिलवाड़ किया और इसके गंभीर परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारी धरती के जल स्रोत को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वह बढ़ता हुआ जल प्रदूषण है। नदियों में बेरोकटोक प्लास्टिक, कूड़ा-कचरा डालना, कारखानों का गंदा पानी

नदियों में डालना आदि की वजह से नदी प्रदूषित हो गया है। नदियों का पानी पीने लायक नहीं रह गया है। अगर इसी प्रकार हम नदियों, तालाबों आदि को प्रदूषित करते रहें तो वह दिन दूर नहीं जब नदियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। पृथ्वी पर जल एक असीम प्राकृतिक संसाधन है जो पुन:चक्रण द्वारा बनता है। लेकिन स्वच्छ और पीने

भूजल संरक्षण के लिए हमें पानी की बचत करने की आवश्यकता है

योग्य पानी हमारी प्रमुख आवश्यकता है जिसे हमारे सुरक्षित स्वस्थ जीवन के लिए बचाया जाना चाहिए। पानी की असली कीमत तो वही व्यक्ति बता सकता है जो रेगिस्तान की तपती धूप से निकल कर आया हो। इसलिए जल संरक्षण को सभी व्यक्तियों को समझना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा।

अनु मिश्रा, सीवान

भूत विद्या को लेकर विवादों में बीएचयू

इन दिनों देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि किसी न किसी मुद्दे पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन जगहों में नागरिक संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर विरोध चल रहा है। लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) अपने पाठ्यक्रम में भूत विद्या पढ़ाए जाने को लेकर चर्चा में है। दरअसल बीएचयू के विज्ञान संस्थान के अंतर्गत आने वाले आयुर्वेद संकाय ने अपने पाठ्यक्रम में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है जिसका सिलेबस भूत विद्या पर पीएचडी कर चुके प्रोफेसर वीके द्विवेदी ने तैयार किया है। भूत विद्या चिकित्सा के अंतर्गत आने वाला अष्टांग आयुर्वेद अर्थात आयुर्वेद के आठ प्रकार का ही एक भाग है। इंटरनैशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद एवं फार्मा रिसर्च के अनुसार संपूर्ण कोर्स यजुर्वेद पर आधारित है जिसमे सुश्रुत (सर्जरी के पितामह) ने भूत विद्या को आयुर्वेद की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारी जिसे दूर दराज के इलाकों में भूत बाधा बता कर बिरादरी से निकाल दिया जाता है, ऐसी सभी भ्रांतियों को खत्म करने और साइको सिमेंटिक अर्थात मनोदैहिक रोगों से निजात पाने के लिए बनाया गया है। पाठ्यक्रम में अवसाद, तनाव और कोलाइटिस जैसे मनोविकार से मुक्ति पाने के लिए वैज्ञानिक और चिरस्मत विद्या का प्रयोग किया जाएगा।

गरिमा सिंह, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।